संख्या-568/2025/543के-2/22-3-2025-17(39)/2024

प्रेषक,

कमलेश कुमार,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

पुलिस महानिदेशक/महानिरीक्षक,
कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-3 लखनऊ: दिनांक 08 दिसम्बर, 2025

विषय:-केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रक्षपाल सिंह पुत्र श्री रामभरोसे लाल, निवासी जनपद-मैनपुरी की दया याचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधीक्षक (मु0), कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0 लखनऊ के पत्र संख्या-27511/प्रोबे0-5-दया0बैठक-04.08.2023, दिनांक 04.09.2023 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2- उक्त पत्र द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्तावानुसार केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रक्षपाल सिंह पुत्र श्री रामभरोसे लाल, ग्राम-नंगला कवानी, थाना-कुर्रा, जनपद-मैनपुरी का निवासी है। बन्दी द्वारा दिनांक 07.07.2017 को 02 सहअभियुक्तों के साथ मिलकर पेट में सूजा मारकर 01 व्यक्ति की हत्या कारित की गयी। उक्त अपराध हेतु बन्दी को सत्र परीक्षण संख्या-258/2017 में भा0द0वि0 की धारा-302/34, 504, 506 के अन्तर्गत मा0 न्यायालय, अपर सत्र न्यायाधीश, त्वरित न्यायालय, कोर्ट संख्या-2, मैनपुरी के आदेश दिनांक 18.05.2022 द्वारा आजीवन कारावास से दण्डित किया गया।

वरिष्ठ अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, गाजीपुर द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

दयायाचिका समिति द्वारा सिद्धदोष बन्दी रक्षपाल सिंह पुत्र श्री रामभरोसे लाल की दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई के प्रकरण पर विचार किया गया। बन्दी द्वारा आजीवन कारावास के सापेक्ष अपरिहार 08 माह, 28 दिन मात्र की सजा भोगी गयी तथा पुलिस अधीक्षक एवं जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी द्वारा समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं किए जाने के दृष्टिगत सभी बिन्दुओं पर सम्यक् विचारोपरान्त समिति द्वारा बन्दी की समयपूर्व रिहाई की संस्तुति नहीं की गयी है।

3- उपर्युक्त वर्णित तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि केन्द्रीय कारागार, आगरा में निरूद्ध सिद्धदोष बंदी रक्षपाल सिंह (बन्दी संख्या-18726) पुत्र श्री रामभरोसे लाल, जनपद-मैनपुरी की भारत का संविधान के अनुच्छेद-161 के अन्तर्गत दयायाचिका के आधार पर समयपूर्व रिहाई सम्यक् विचारोपरान्त राज्यपाल द्वारा अस्वीकार कर दी गयी है। कृपया उपरोक्त से बन्दी को भी अवगत कराने का कष्ट करें।

भवदीय,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

संख्या व दिनांक तदैव:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1- निजी सचिव, मा0 मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 मंत्री जी को सूचनार्थ।

2- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग, उ0प्र0 शासन को मा0 राज्यमंत्री जी को सूचनार्थ।

3- जिला मजिस्ट्रेट, मैनपुरी।

4- वरिष्ठ अधीक्षक, केन्द्रीय कारागार, आगरा।

5- नोडल अधिकारी/अधीक्षक, जिला कारागार, गाजियाबाद को को मा0 उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली में योजित विशेष अनुज्ञा याचिका (क्रिमि0) संख्या-529/2021 सोनाधर बनाम छत्तीसगढ़ राज्य तथा सुओ मोटो रिट पिटीशन (क्रिमि0) संख्या-04/2021 पॉलिसी स्ट्रेट्जी फार ग्रान्ट ऑफ बेल में दिनांक 10.09.2024 को पारित आदेशों के सन्दर्भ में।

6- कारागार प्रशासन एवं सुधार अनुभाग-2।

7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
कमलेश कुमार
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।